कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।
E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com
Phone & Fax:- 01376-246321

पंत्राक 660 /21सी0 दिनांक 20/4/ 2018

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना – किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 8.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 5.3025 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड थत्यूड को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 3633/12–1, दिनांक 13.04.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना – किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 8.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 5.3025 है0 वन भूमि का प्रस्ताव पूर्व में ऑन लाईन किया गया था जोकि आपत्तियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार किया जा रहा है :–

1. अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। मसराना नामक स्थान पर बनाई जाने दो मंजिला वन चौकी का प्राक्कलन आपके पत्रांक 2957/12–1, दिनांक 17.02.2018 द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्राप्त हुआ है जिसमें पूर्व में भी प्राक्कलन में डी0एस0आर0 की वर्तमान दरों हेतु लिखा गया था किन्तु उक्त प्राक्कलन इस खण्ड को पुनः 2014 एस0ओ0आर0 की दरों पर ही प्रेषित किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 641/21सी0, दिनांक 19.04.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्त प्राक्कलन में आपत्तियां लगाई गयी है जिसका निराकरण कर शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि उक्त प्राक्कलन उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सके।
2. ऑन लाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा L(H) में Copy of non encumbernce certificate अपलोड कर दिया गया है।
3. ऑन लाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा L(G) में MOU/agreement को यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
4. ऑन लाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा D(I) में संशोधित प्रतिवेदन अपलोड कर दिया गया है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग – 1 के पैरा G(I) में Cost Benefit analysis से सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।
6. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षो की गणना के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड कर दिये गये है।

अतः निवेदन है कि प्रस्ताव आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/04/18

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

पंत्राक 660 /21सी0 दिनांक 20/4/ 2018

प्रतिलिपि :–
1. सहायक अभियन्ता, तृतीय, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कनिष्ठ अभियन्ता/खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

20/04/18

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

o/c

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक : 641 /21 वि0 दिनांकः– 19/4 /2018

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी, वन प्रभाग, मसूरी।

विषयः– **राज्य वन्यजीव बोर्ड की 39 वीं बैठक दिनांक 23.06.2016 का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक 2957/12–1, दिनांक 17.02.2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में मसराना–किमोई मोटर मार्ग के प्रथम 600 मीटर कुल 0.42 है0 भाग मसूरी वन्य जीव विहार में प्रस्तावित होने के फलस्वरूप मसराना (विनोग) में बनायी जाने वाली दो मंजिला वन चौकी के निर्माण हेतु आपेक्षित धनराशि रू0 20,000,00.00 (बीस लाख) का प्राक्कलन मय ड्राइंग सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जांचों उपरान्त आगणन में निम्न कामिया पायी गयी है, पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा आगणन आपको निराकरण हेतु प्रेषित किया गया था किन्तु आगणन में अब भी कुछ कमियां पाई गयी है जो कि निम्नवत् हैः–

1. प्राक्कलन में लगाई गयी दरे एस0ओ0आर 2014 के अनुसार ली गयी है जबकि इसे वर्तमान में वर्ष 2016--17 के डी0एस0आर0 के अनुसार इन्डेक्शन को जोडते हुये गठित किया जाना है।

अतः उक्त आगणन की आपत्तियों का निराकरण कर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि आगणन उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्न :– 01 आगणन 03 प्रतियों में,
डी0एस0आर0 2016–17 की छायाप्रतियां।

18/04/18

(इं0 रजनीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

पत्रांक / तद्दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता तृतीय/कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

Bachan Singh Letter 2015